



Neutral Citation No. - 2026:AHC:20784

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A संख्या – 1194/2026

बीरेंद्र सिंह.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:शिव प्रताप सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता:मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव प्रताप सिंह और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि रिट याचिकाकर्ता, जो 31.10.2025 को एस-रे तकनीकी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें अभी तक सेवानिवृत्ति के बकाया का भुगतान नहीं किया गया है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा किया जाना है।
4. न्यायालय के समक्ष किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता, रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करें; जिस पर प्रतिवादी संख्या 3, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, कानून के पूर्णतः अनुरूप रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने की कार्यवाही करेंगे।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

30 जनवरी, 2026

एन0एस0राठौर

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”